

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
क्रमांक: एस्टे/डीईएस/मंत्रा/अ.अ./115/1266

दिनांक 03/05/2019

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कार्मिकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	नीतू पारीक	एम.ए. अर्थशास्त्र 2019-20	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, झोटवाडा, जयपुर
2.	तेजाराम जाट	एम.ए. अर्थशास्त्र, रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019, नेट इतिहास परीक्षा	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सम, जैसलमेर
3.	कमलेश कुमावत	रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड फार्मासिस्ट परीक्षा 2019	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, नावां, नागौर
4.	कृष्ण लाल	रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019, यूजीसी नेट (राजनीति विज्ञान) 2019	सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रीगंगानगर
5.	योगेश कुमार कुमावत	स्कूल व्याख्याता 2018, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, बहरोड, अलवर
6.	पवन कुमार गोरा	एम.ए. इतिहास पूर्वाद्ध परीक्षा	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, दौसा, दौसा
7.	शिल्पा	रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, नोहर, हनुमानगढ
8.	अर्जुन सिंह धाकड़	रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019, एम्स जोधपुर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, नादौती, करौली
9.	भगवान जांगिड़	एम.ए. अर्थशास्त्र, रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, नागौर, नागौर
10.	राजेश प्रजापत	रेलवे भर्ती परीक्षा 2019	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, चेचट, कोटा
11.	सुनिल कुमार	एम.ए. अर्थशास्त्र पूर्वाद्ध, रेलवे भर्ती परीक्षा एन.टी.पी.सी. 2019	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, जालसू, जयपुर
12.	दौलत राम जाट	एम.ए. अर्थशास्त्र (कोटा ओपन युनिवर्सिटी)	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, थानागाजी, अलवर

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
6. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
7. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
9. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबधित विभाग.....
3. संबधित कार्मिक श्री.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (प्रशासन)